मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 1200171/951/21-ब(दो) भोपाल, दिनांक 01.07.2026

प्रति,

1. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता,
   मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर/ इंदौर
4. समस्त संभागायुक्त/ समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
5. समस्त शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी.,
   सिविल न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय, मध्यप्रदेश
6. संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय),
   जबलपुर/ ग्वालियर/ इंदौर

विषय- राज्य शासन के पक्षकार वाले सिविल/ जिला/ रिट न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभावी संचालन, समयबद्ध प्रतिवाद एवं समन्वित पैरवी के संबंध में दिशा-निर्देश।

मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 के प्रावधानों, माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा समय-समय पर व्यक्त अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, राज्य पक्ष की प्रभावी एवं उत्तरदायी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते है-

1. शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी. को जिस न्यायालय या न्यायालयों का कार्य आवंटित है वह उन न्यायालयों

में राज्य शासन/ शासकीय अधिकारी/ शासकीय भूमि/ शासकीय संपत्ति से संबंधित प्रकरणों में प्राप्त नोटिस, समन, तामील, आवेदन अथवा अंतरिम प्रार्थना पत्र पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा वकालतनामा अथवा प्राधिकरण प्राप्ति की प्रक्रिया लंबित होने के कारण अनावश्यक विलंब नहीं होने देगा। जहां आवश्यक स्वीकृति अथवा वकालतनामा अपेक्षित हो, वहां उसके लिए संबंधित विभाग/ प्रभारी अधिकारी से तत्काल समन्वय स्थापित किया जाएगा।

2. नोटिस/ समन अथवा वाद की जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी. संबंधित विभाग, जिला प्रशासन, प्रभारी अधिकारी अथवा नोडल अधिकारी को आवश्यक अभिलेख, नकलें, नक्शे, रिकॉर्ड, परिपत्र, अधिसूचनाएं, आदेश, राजस्व अभिलेख अथवा तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु यथाशीघ्र लिखित पत्र अथवा ई-मेल के माध्यम से सूचना देगा। तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में व्हाटसएप, दूरभाष अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दी जा सकेगी किन्तु ऐसी सूचना के संबंध में लिखित पत्राचार अथवा ई-मेल अभिलेख अनिवार्य रूप से संधारित किया जाएगा।

3. राज्य पक्षकार वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रकरण शासकीय भूमि/ शासकीय संपत्ति/ लोकहित/ राजस्व अभिलेख/ नामान्तरण/ निषेधाज्ञा/ घोषणा वाद से संबंधित मामलो में शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी. उपलब्ध अभिलेखों का प्रारंभिक परीक्षण कर आवश्यकतानुसार समय पर जबाव,

प्रतिवाद अथवा अन्य न्यायालयीन कार्यवाही की आवश्यकता से संबंधित विभाग एवं प्रभारी अधिकारी को अवगत कराएगा।

4. यदि वाद शासकीय भूमि से संबंधित है तो ऐसे प्रकरणों में शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी. उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा, खसरा, खतौनी, नामान्तरण आदेश, सीमांकन, पूर्ववर्ती वाद-विवाद, अपील, पुनरीक्षण तथा संबंधित राजस्व या प्रशासनिक आदेशों का समुचित परीक्षण कर संबंधित विभाग/ कलेक्टर/ राजस्व अधिकारी से आवश्यक तथ्यात्मक जानकारी एवं अभिलेख प्राप्त करेगा जिससे न्यायालय के समक्ष प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जा सके।

5. प्रतिकूल अंतरिम आदेश अथवा अंतिम आदेश पारित होने की दशा में संबंधित शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी. आदेश की प्रति/ नकल उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र प्रकरण की विधिक स्थिति, परिसीमा एवं उपलब्ध विधिक उपायों जैसे अपील आदि के संबंध में अपने अभिमत सहित अधिकतम 15 दिवस के भीतर संबंधित विभाग/ प्रभारी अधिकारी/ महाधिवक्ता कार्यालय को अवगत कराएगा।

6. महाधिवक्ता कार्यालय/ अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त विधिक निर्देशों, टिप्पणियों अथवा परामर्श का यथोचित पालन किया जाएगा। सिविल न्यायालयों/ जिला न्यायालयों के प्रकरणों में भी जहां महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न, उच्च मूल्य शासकीय भूमि, व्यापक सार्वजनिक प्रभाव या संवेदनशील नीति विषयक प्रश्न अंतर्निहित हो वहां आवश्यकतानुसार महाधिवक्ता कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा।

7. राज्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों की अवधि की समीक्षा संबंधित शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी. अपने स्तर पर करेगा। जिन प्रकरणों में बार-बार स्थगन, आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से कार्यवाही प्रभावित हो रही हो, उनका पृथक संक्षिप्त विवरण संबंधित विभाग/ प्रभारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा।

8. जहां किसी प्रकरण में प्रतिपरीक्षण, साक्ष्य, राजस्व अभिलेखीय परीक्षण, सीमांकन, नक्शा साक्ष्य या विशेषज्ञ/ अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक हो, वहां शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी. इस संबंध में प्रभारी अधिकारी/ संबंधित विभाग के साथ पूर्व समन्वय स्थापित कर आवश्यक अभिलेख, तथ्यात्मक जानकारी एवं प्रकरण से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड न्यायालयीन कार्यवाही हेतु व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा ताकि न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जा सके।

9. यह अपेक्षित रहेगा कि शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी. अपने आवंटित न्यायालयों में राज्य से संबंधित प्रकरणों का अद्यतन रजिस्टर/ डायरी/ डिजिटल सूची रखे, जिसमें प्रकरण क्रमांक, पक्षकार, विषय, अगली तिथि, अपेक्षित कार्यवाही, प्राप्त/ अप्राप्त अभिलेख तथा परिसीमा संबंधी महत्वपूर्ण विवरण संधारित हो।

10. उक्त निर्देश केवल न्यायालय में उपस्थिति की औपचारिकता के लिए नहीं है। राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 की भावना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त अपेक्षाओं के अनुरूप यह आवश्यक है कि शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी. राज्य के हितों की प्रभावी एवं उत्तरदायी पैरवी सुनिश्चित करे, विशेषत: ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय भूमि या व्यापक लोकहित अंतर्निहित हो।

11. इन निर्देशों का पालन न किए जाने की स्थिति में अथवा आवंटित न्यायालयों में राज्य प्रकरणों के प्रति स्पष्ट शिथिलता, असमन्वय, अनावश्यक अनुपस्थिति, नोटिस ग्रहण न करना, समय पर सूचना न देना या इन कारणों अथवा कार्यवाही से राज्य के विरूद्ध एकपक्षीय/ प्रतिकूल आदेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर संबंधित शासकीय अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता/ जी.पी./ ए.जी.पी. के उत्तरदायित्व का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
MUKESH KUMAR
Date: 01-07-2026
12:11:26

(मुकेश कुमार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग